न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 35/2024 अपील

1. मु. शान्ति पुत्री सीताराम खटीक 2. मु. कस्तूरी पुत्री सीताराम खटीक 3. मु. हावुली पुत्री सीताराम खटीक 4. मु. डाली पुत्री सीताराम खटीक 5. मु. कंकू पुत्री सीताराम खटीक 6. मु. पुष्पा पुत्री सीताराम खटीक समस्त निवासियान शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा।	बनाम	1. सीताराम पुत्र नानूराम खटीक निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा। 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा।
–अपीलार्थी		–विपक्षी

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार शाहपुरा नामान्तरकरण संख्या 969 दिनांक 07.03.2024

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री चावण्ड सिंह शक्तावत – अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा – विपक्षी संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :21.08.2024

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध तहसीलदार शाहपुरा नामान्तरकरण संख्या 969 दिनांक 07.03.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण के पिता श्री सीताराम पिता खुमाराम खटीक निवासी शाहपुरा के पक्ष में आवंटनशुदा भूमि जो ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का क्षेत्र प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा की सरहद में स्थित है जिसके हाल आराजी संख्या 593 रकवा 0.54 हैक्टयर दर्ज है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में पंजीवद्ध राजस्व वाद प्रकरण संख्या 105/2013 में पारित किए गये निर्णय/डिक्री दिनांक 29.02.2024 से विरासत से अपीलार्थीगण के नाम पर दर्ज खसरा संख्या 593 में विपक्षी संख्या 01 श्री सीताराम खटीक को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। जिसकी अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा में अपीलार्थीगण द्वारा पृथक से की हुई है और साथ साथ माननीय न्यायालय से अपीलार्थीगण के पक्ष में उक्त खसरा संख्या 593 पर दिनांक 21.03.2024 से स्थगन आदेश पारित किया हुआ है जो वर्तमान में प्रभाव में होकर पेशी दर पेशी आगे बढ़ रहा है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में पंजीवद्ध राजस्व वाद बावत् खातेदारी घोषणा, ईन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा जिसके प्रकरण संख्या 105/2013 में न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करते हुए,

जिला कलक्टर
शाहपुरा

गैर कानूनी इरादे से प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में निर्णय/डिक्री दिनांक 29.02.2024 को पारित कर दी गई। उक्त पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 29.02.2024 का अमलदरामद राजस्व अभिलेख में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा शीघ्रता से दिनांक 07.03.2024 को ही अवैधानिक तरीके से विधि विरुद्ध दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा ने केवल सात दिवस के भीतर उक्त विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तरण प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 969 निर्णय दिनांक 07.03.2024 खोल दिया गया जबकि निर्णय के विरूद्ध अपील मियाद अवधि 30 दिवस होती है। अपीलार्थीगण को बिना सुने मियाद अवधि से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा जल्दवादी में दिनांक 07.03.2024 को ही यह इन्द्राज राजस्व अभिलेख में कारित कर दिया गया। अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 969 दिनांक 07.03.2024 के स्वीकृत किए जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपीलार्थीगण पक्ष को न तो सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया एवं न ही पारित निर्णय के विरूद्ध सक्षम स्तर पर अपील दाखिल करने की समय सीमा का ध्यान रखा गया। अपीलार्थीगण को इस अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 969 दिनांक 07.03.2024 के स्वीकृत कर दिये जाने की जानकारी दिनांक 25.04.2024 को हुई। जानकारी होने पर आवश्यक कागजात संकलित कर, दिनांक 25.04.2024 से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है व अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र भी पृथक से पेश किया जा रहा है। मामला अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के महत्वपूर्ण हक अधिकारों का है इस कारण न्यायहित में अपील विलम्ब अवधि को माफ किया जाना न्यायोचित है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 969 निर्णय दिनांक 07.03.2024 को अपास्त/निरस्त फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड फरमाया जावे।

2. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.05.2024 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं जवाब तलब किया गया।

3. दिनांक 08.05.2024 को विपक्षी संख्या 01 ने जरिये अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा जवाब पेश कर निवेदन कि प्रस्तुत अपील में वर्णित प्रकरण सं. 105 सन् 2013 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा दिनांक 29.02.2024 को विधि सम्मत निर्णय पारित फरमाया। उक्त निर्णय के अनुसार नामान्तकरण फैसल किया जाकर जवाबदाता को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार जवाबदार द्वारा उपखण्ड न्यायालय में हकरसी प्रस्तुत की जिसमें विधि सम्मत तरीके से नामान्तकरण सं. 969 दिनांक 07.03.2024 को उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के आदेशानुसार फैसल किया गया। माननीय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित फरमाया फिर भी अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है। अपीलार्थीगण के कथनानुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय दिनांक 29.02.2024 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय

जिला कलक्टर
शाहपुरा

में अपील प्रस्तुत कर रखी है। एक ही विवाद के दो प्रकरण किसी भी स्थिति में विचारण किये जाने योग्य नहीं हैं। नामान्तकरण सं. 969 निर्णय दिनांक 07.03.2024 उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के आदेशानुसार विधि सम्मत तरीके से फैसल किया गया। विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अपील की अवधि तक निर्णय की पालना नहीं की जावे। राजस्व अधिकारी तहसीलदार शाहपुरा द्वारा हकरसी में विधि सम्मत तरीके से नामान्तकरण फैसल किया गया है जो निरस्त योग्य नहीं है। माननीय न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा अवधि के अवसान के पश्चात् के प्रस्तुत की गई अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण को नामान्तकरण फैसल होने की जानकारी प्रथम दिवस से ही थी, लेकिन जानबूझ कर अवधि के अवसान के पश्चात् अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम के तहत विवादित नामान्तरकरण प्रकरण में अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय जिला कलक्टर को नहीं होकर संभागीय आयुक्त है। इस आधार पर भी अपील निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिये विचाराधीन अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सव्यय निरस्त फरमाये जाने की कृपा करावें।

4. सर्वप्रथम अपील मेमों में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। अपीलार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

5. प्रकरण में अपीलार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेंमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में पंजीबद्ध राजस्व वाद प्रकरण संख्या 105/2013 में पारित किए गये निर्णय/डिक्री दिनांक 29.02.2024 से विरासत से अपीलार्थीगण के नाम पर दर्ज ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का क्षेत्र प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा की खसरा संख्या 593 में प्रत्यथी संख्या 01 श्री सीताराम खटीक को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। जिसकी अपील माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा में अपीलार्थीगण द्वारा पृथक से की हुई है और साथ साथ माननीय न्यायालय से अपीलार्थीगण के पक्ष में उक्त खसरा संख्या 593 पर दिनांक 21.03.2024 से स्थगन आदेश पारित किया हुआ है जो वर्तमान में प्रभाव में होकर पेशी दर पेशी आगे बढ़ रहा है। उक्त स्थगन के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा ने केवल सात दिवस के भीतर उक्त विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तरण प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 969 निर्णय दिनांक 07.03.2024 खोल दिया गया जबकि निर्णय के विरूद्ध अपील मियाद अवधि 30 दिवस होती है। अपीलार्थीगण को बिना सुने मियाद अवधि से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा जल्दबादी में दिनांक 07.03.2024 को यह इन्द्राज राजस्व अभिलेख में कारित कर

जिला कलक्टर
शाहपुरा

दिया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि चूंकि उक्त नामान्तरकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के आदेश दिनांक 29.02.2024 की पालना में खोला गया है इसलिए उक्त नामान्तरकरण विवादित नामान्तरकरण की श्रेणी में नहीं आता है। अतः उक्त नामान्तरकरण की अपील का श्रवणाधिकार न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा को ही है। उक्त तर्क के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा 2022-23(Supp.) RRT 394, 2022(1) RRT 79, 2023(2) RRT 843 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर उक्त तहसीलदार शाहपुरा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 969 निर्णय दिनांक 07.03.2024 को अपास्त/निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड फरमाया जावे।

5. विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नामान्तकरण सं. 969 निर्णय दिनांक 07.03.2024 उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के आदेशानुसार विधि सम्मत तरीके से फैसल किया गया। विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अपील की अवधि तक निर्णय की पालना नहीं की जावे। राजस्व अधिकारी तहसीलदार शाहपुरा द्वारा हकरसी में विधि सम्मत तरीके से नामान्तकरण फैसल किया गया है जो निरस्त योग्य नहीं है। धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम के तहत विचाराधीन प्रकरण में को अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय जिला कलक्टर को नहीं होकर संभागीय आयुक्त है। इस संदर्भ में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 की ओर से revision nos. 65& 66/banswara of 2001 श्रीमती तुलसी व अन्य बनाम परमेश्वर व अन्य न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किया गया। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सव्यय निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टांतों का सावधानी पूर्वक अध्ययन एवं परीक्षण करने के उपरान्त पाया गया कि ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का क्षेत्र प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा की सरहद में स्थित आराजी संख्या 593 रकबा 0.54 हैक्टयर अपीलार्थीगण के पिता को आवंटित हुई थी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में पंजीवद्ध राजस्व वाद प्रकरण संख्या 105/2013 में पारित किए गये निर्णय/डिक्री दिनांक 29.02.2024 से दर्ज उक्त खसरा संख्या 593 में प्रत्यर्थी संख्या 01 श्री सीताराम खटीक को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। इस निर्णय की अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा में विचाराधीन है। उक्त अपील में दिनांक 21.03.2024 से स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में पंजीवद्ध राजस्व वाद प्रकरण संख्या 105/2013 में पारित किए गये निर्णय/डिक्री दिनांक 29.02.2024 की पालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 969 दिनांक 07.03.2024 को विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में खोला गया था। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण विवादित नामान्तरकरण की श्रेणी में नहीं होने से उक्त नामान्तरकरण की अपील की सुनवाई राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर को है। अपीलार्थीगण

जिला कलक्टर
शाहपुरा

अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से भी स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण की अपील का श्रवणाधिकार न्यायालय जिला कलक्टर को है। साथ ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.02.2024 की अपील में न्यायालय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 21.03.2024 में भी माननीय न्यायालय ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय की क्रियान्विति पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई थी। ऐसे में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 07.03.2024 को विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 969 प्रथम दृष्टया अपास्त होने योग्य ठहरता है। अतएव–

आदेश

7. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 उपरोक्त तथ्यों व न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा में विचाराधीन अपील के मध्यनजर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का क्षेत्र प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा की खसरा संख्या 593 में विपक्षी संख्या 01 पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण संख्या ९६९ दिनांक 07.03.2024 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा